आदेशिका

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

मनोहरलाल बनाम वेदप्रकाश आदि

प्रकरण अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट अपील संख्या 49 /2019

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसाारित पत्रांक एवं दिनांक
15.05.19	वकील अपीलांट द्वारा पेश करने पर बाद जांच रिपोर्ट अपील पेश हुई। रेस्पों. सं. 1 की ओर से कैवियट प्रा.पत्र शामिल है। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 29.04.2019 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रा.पत्र पर अपीलांट के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझा एवं अप्रार्थीगण को तलब कर पत्रावली में तारीख पेशी 24.05.2019 नियत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश की सीमा तक मामला बनता था। अधी. न्यायालय ने न तो प्रा.पत्र खारिज किया और न ही स्वीकार किया। इतना अंकित कर दिया कि स्थगन जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता जबकि अधी. न्यायालय को स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए था। अतः निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रा.पत्र स्वीकार किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पों. द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को तलब कर पत्रावली में तारीख पेशी 24.05.2019 नियत की गई है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जिसकी अपील नहीं हो सकती। अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के आदेश दिनांक 03.02.2016 की फोटो प्रति पेश की जिसके अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की गई है। चुंकि अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रा.पत्र पर यह आदेश दिया कि मामले में ऐसा कोई आपातिक अपूर्णीय क्षति का आधार दर्शित नहीं होता है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अधी. न्यायालय में आगामी तारीख पेशी 24.05.2019 नियत है। अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जिसके विरूद्ध अपील सुनने का प्रावधान नहीं है। अपीलांट अधी. न्यायालय में उपस्थित होकर अपने एतराजात पेश करे। यदि अपीलांट जल्दी सुनवाई चाहता है तो अधी. न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निर्णित पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)